भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3686
बुधवार, 5 अप्रैल, 2023 (15 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के लिए योजनाएं

3686# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं संचालित की जा रही है;
(ख) क्या देश के प्रत्येक गांव में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के गठन हेतु योजना बनाई गई है;
(ग) अभी तक कुल कितने गांव में समितियों का गठन हो चुका है; और
(घ) क्या इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर की भांति सेवाएं प्रदान करने पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): देश में लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS)/लार्ज एरिया मल्टीपपर्ज़ समितियां (LAMPS)/किसान सेवा समितियां (FSS) हैं जिनसे लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य के रूप में जुड़े हैं । अपनी स्थापना के बाद से ही मंत्रालय द्वारा पैक्स को सशक्त करने और उनके विकास के लिए अनेक पहलें की गई हैं जैसे:

1. <u>पैक्स का कंप्यूटरीकरण:</u> 2,516 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय से आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । इसके द्वारा 63,000 कार्यशील पैक्स को नाबर्ड द्वारा विकसित की जा रही एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में लाया जाएगा। इस परियोजना से विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि, ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन के दरों में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन और पारदर्शिता में वृद्धि सुनिश्चित होगी । इससे किसानों के बीच पैक्स के कार्यकरण के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होगी । कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कार्यान्वयन से पैक्स अपने कार्यों को ऑनलाइन कर सकेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त/ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

2. <u>पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां:</u> पैक्स की ये आदर्श उपविधियां जिसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों व अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है, को दिनांक 05.01.2023 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारी कानूनों के अध्यधीन पैक्स द्वारा अपनाए जाने के

लिए परिचालित किया गया है । ये उपविधियां पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उचित मूल्य की दुकान (FPS), कस्टम हाइरिंग केन्द्र, इत्यादि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्य करने में सक्षम करेंगे ।

3. <u>कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:</u> पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-एसपीवी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया । इस समझौता ज्ञापन से पैक्स, ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों के लिए सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध बैंकिंग, बीमा, आधार इनरोलमेंट/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, विधिक सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/हवाई यात्रा टिकट संबंधी सेवाएं, आदि सहित 300 से भी अधिक सूचीबद्ध ई-सेवाएं प्रदान कर सकेंगे । यह पहल विशेषकर ग्रमीण क्षेत्रों में न केवल आम नागरिकों को प्रभावी सेवा अदायगी सुनिश्चित करेगा बल्कि पैक्स के व्यावसायिक कार्यों के सुधार में भी मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वैकल्पिक राजस्व प्रवाह प्राप्त होगा और वे आर्थिक रूप से संवहनीय संस्थान बन सकेंगे ।

4. <u>राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:</u> सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सहकारी डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 1 लाख से भी अधिक प्राथमिक कृषि क्रेडिट समतियों (PACS)/लार्ज एरिया मल्टीपपर्ज़ समितियों (LAMPS)/किसान सेवा समितियों (FSS) के आंकड़े कैप्चर करके पंचायत और गांव स्तर के पैक्स सहित देश भर के प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग की गई है ।

5. <u>प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना</u>: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है ।

6. <u>राष्ट्रीय सहकारी नीति:</u> सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

7. <u>राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम:</u> एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

8. <u>क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान:</u> गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

9. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

10. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

11. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

12. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

13. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

14. पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

15. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

16. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

17. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

18. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को गति प्रदान करेगा ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए पहलों के अतिरिक्त, पैक्स सहित सहकारी समितियों के लाभ के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जैसे:-

1. **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण की परिकल्पना करता है ।

2. **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि मूल्य श्रंखला के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है । अवसंरचना सुदृढ़ करने के माध्यम से कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रामीण हाटों को बतौर GrAMs विकसित व अपग्रेड करने पर विशेष ध्यान देता है ।

3. **कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो कृषि यांत्रिकीकरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक और उच्च मूल्य कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्र और हब स्थापित करने की परिकल्पना करता है ।

4. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधीन विभिन्न कार्यकलाप, जैसे शीतागार, शीतालन कक्ष और विपणन अवसंरचना सहित फसल पश्चात् अवसंरचनाएं स्थापित करना शामिल है ।

5. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसका लक्ष्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संगठित आपूर्ति श्रंखला का निर्माण करना है । यह 2 लाख उद्यमों को औपचारिक अवसंरचना में स्थानांतरित करने की परिकल्पना करता है ।

6. **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो फार्मगेट से रीटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचनाओं के निर्माण को लक्षित करता है । इसकी कई उपयोजनाएं हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन्स, एकीकृत शीतालन श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना की स्थापना, आदि ।

7. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग कर रहा है और जिसका लक्ष्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि और संगठित प्रापण, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन तथा विपणन की हिस्सेदारी में वृद्धि सुनिश्चित करना है ।

8. **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (DIDF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका लक्ष्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं, दुग्ध द्रुतशीतन अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण स्थापित करने सहित दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना, आदि का आधुनिकीकरण और निर्माण करना है ।

9. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** एक केन्द्रीय प्रायोजित अंब्रेला योजना है जिसमें केन्द्रीय सेक्टर योजना घटक भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है । इसे मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसल पश्चात अवसंरचना और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण व सशक्तिकरण, आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

10. **मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन मत्स्यपालन विभाग कर रहा है और जिसका लक्ष्य समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्रक, दोनों में मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना और देश में मत्स्य उत्पादन को सुदृढ़ करना है ।

11. **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED)** मुख्य रूप से वनों में रहने वाले जनजातीय आबादी की बहुलता वाले जिलों में लघु वनोत्पाद के एकत्रण व बिक्री हेतु वनधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अगुवाई करता है । यह जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व में वनधन विकास केन्द्र क्लस्टरों को (VDVKCs) स्थापित करने की परिकल्पना करता है ।

******